

प्रारूप-5

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण ।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश निम्न हैं:-

- (1) रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 2004/W-I/RVNL/15 Pt-I दिनांक: 05-09-2011. (छायाप्रति संलग्न है।)
- (2) भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण भाग-II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित। सं० 448 - नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935। द्वारा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (नई लाइन) विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी आदेश निम्नलिखित हैं:-

- (1) रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 2004/W-I/RVNL/15 Pt-I दिनांक: 05-09-2011. (छायाप्रति संलग्न है।)



कन्सल्टेन्ट (वन)

ए. के. शर्मा / A.K. SHARMA
संयुक्त महाप्रबंधक वन विशेषज्ञ/ JGM Forest Expert
रेल विकास निगम लि०/ Rail Vikas Nigam Ltd.
भारत सरकार का उपक्रम/ A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201



उप महाप्रबंधक (पी-1)

रेल विकास निगम लि०



मुख्य परियोजना प्रबंधक

रेल विकास निगम लि०

हिमांशु बडोनी / HIMANSHU BADONI
(भारतीय रेल की ओर से)
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि०/ Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935

No. 448]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)

(RAILWAY BOARD)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

New Delhi, the 24th February, 2014

का.आ. 528(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित निम्नलिखित परियोजना को लोक प्रयोजन के लिए उत्तराखंड राज्य में अवसंरचना उपबाधित कराने के लिए विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

S.O. 528(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project, as mentioned in column (2) of the Table below as the Special Railway Project, in the State of Uttarakhand for providing infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

सारणी

TABLE

क्र.सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (नई लाइन)

S. No.	Name of the Project
(1)	(2)
1.	Rishikesh-Karnaprayag (New Line)

[फा.सं. 2014/डब्ल्यू-1/आरवीएनएल/एनएल/1]

[F. No. 2014/W-1/RVNL/NL/1]

चेद प्रकाश डुडेजा, कार्यपालक निदेशक (निर्माण)

VED PARKASH DUDEJA, Executive Director (Works)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

No. 2004/W-I/RVNL/15 Pt I

New Delhi, dated 05.09.2011

**Managing Director,
Rail Vikas Nigam Limited,
1st Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Kama Place,
New Delhi-110066.**

Sub: Transfer of projects to RVNL for execution.

**Ref: (i) RVNL's letter no. PP&D/DO/RVNL/Dimapur-Kohima/2010
dated 26.07.2011.**

Board have decided to transfer the following project of Northern Railway to RVNL for execution:

Name of the project	Length (in km.)	Latest Anticipated Cost (₹ in crore)
Rishikesh - Karnaprayag New Line	125.09	4295.30

In view of the above, RVNL may take necessary action for expeditious execution of the above project.


**(Virender Kumar)
Director/Works-I**

**Copy to: (i) General Manager, NR/New Delhi for information.
(ii) ED/F(B) Railway Board for information.**

2011/rvnl/letter


DGM/P-1/RVNL
उप महाप्रबन्धक (डी-1)
रेल विकास निगम लि०